राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन,"ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेलjacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः प.4(ई)(1)(6)निप / लिंक नं. 9809 / 1994 / अलेसे–III / 8668–72 दिनांकः– 27-10-2025

आदेश

श्री महेश कुमार द्विवेदी, सेवानिवृत कनिष्ठ लेखाकार, तत्कालीन कार्यालय निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर को चैक अनादरण प्रकरण में आपराधिक अपील संख्या 184 / 2010 (262 / 10) में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2010 के विरूद्ध दायर अपील आपराधिक निगरानी याचिका संख्या 237 / 2010 में माननीय अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक) क्रम–5, जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा खारिज करते हुए एक वर्ष का कारावास एवं दस लाख रूपए के अर्थदण्ड को यथावत् रखते हुए निर्णय दिनांक 13.06.2011 द्वारा दण्डादेश की पुष्टि किये जाने एवं श्री द्विवेदी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समर्पण किये जाने के कारण दिनांक 17.10.2011 से 22.10.2011 तक न्यायिक हिरासत में रहे। इस कारण श्री द्विवेदी को इस विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 8755–61 दिनांक 04.11.2011 के द्वारा दिनांक 17.10.2011 से निलम्बित किया गया था।

प्रकरण में वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार निर्णय लेते हुए विभागीय आदेश संख्या 182 / 2013–14, क्रमांक 8229–8237 दिनांक 02.08.2013 द्वारा राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

माननीय राज. उच्च न्यायालय में दायर आपराधिक रिवीजन याचिका सं. 884 / 2011 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2011 में न्यायालय द्वारा प्रकरण में सजा पर स्थगन दे दिया, परन्तु दोष सिद्धि पर स्थगन अस्वीकार करते हुए 5 लाख रूपये जमा कराने के निर्देश प्रदान किये। तत्पश्चात उक्त रिवीजन याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2015 में याची की रिवीजन याचिका एवं परिवादी के परिवाद का याची (श्री महेश कुमार द्विवेदी) की सेवा पर प्रभाव नहीं पडने के निर्देश दिये थे। विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण, विधि (प्रकोष्ठ–4) विभाग की अ.शा.टीप. प.16 (613) विधि–4 / 2015 दिनांक 25.02.2016 द्वारा रिवीजन यचिका संख्या 884 / 2011 मे नो अपील का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसार विभागीय आदेश संख्या 142 / 2016–17 दिनांक 09.01.2017 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम, 1958 के नियम 54 (3) के प्रावधानो के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृति की तिथी से पुनः सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथी तक की अवधि का कोई वेतन नहीं दिए जाने का निर्णय लेते हुए श्री महेश कुमार द्विवेदी की पदच्युति / सेवा से हटाने के आदेश को अपास्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से सेवा में पुनः स्थापित किया गया।

श्री द्विवेदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर मे दायर एस.बी.सी रिट पिटीशन 16421 / 2017 महेश कुमार द्विवेदी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2024 पारित किया गया। जिसके अनुसार श्री द्विवेदी को रिट याचिका 13764 / 2018 मांगीलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2023 के समान परिलाभ दिये जाने है। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30.07.2024 के संदर्भ में वित्त (विधि–प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 09.05.2025 के अनुसार श्री द्विवेदी को मांगीलाल प्रकरण के समान समस्त परिलाभ देने की शर्त के साथ नो–अपील का निर्णय लिया गया।

अतः एस.बी.सी रिट पिटीशन 16421 / 2017 महेश कुमार द्विवेदी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय / आदेश दिनांक 30.07.2024 के अनुसरण में तथा कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के आदेश क्रमांक 275–276 दिनांक 01.05.2024 द्वारा श्री मांगीलाल को दिये गये परिलाभों के अनुसार श्री महेश कुमार द्विवेदी, सेवानिवृत कनिष्ठ लेखाकार की कर्तव्य से अनुपस्थित अवधि अनिवार्य सेवानिवृति आदेश दिनांक 02.08.2013 से राज्य सेवा में पुनः बहाल किये जाने पर कार्यग्रहण से पूर्व की दिनांक 16.02.2017 तक सेवा योग्य मानी जावेगी एवं उक्त अनुपस्थित अवधि का लाभ काल्पनिक देय होगा। श्री महेश कुमार द्विवेदी, सेवानिवृत कनिष्ठ लेखाकार की निलम्बन अवधि दिनांक 17.10.2011 से 01.08.2013 तक सेवा योग्य मानी जावेगी तथा निलम्बन अवधि के समस्त परिलाभ नियमानुसार देय होंगे।

(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.4(ई)(1)(6)निप / लिंक नं. 9809 / 1994 / अलेसे–III / 8668–72 दिनांकः– 27-10-2025

<u>प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–</u>

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एव लेखा विभाग।
4. कार्यालय निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) कोष एवं लेखा विभाग।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. श्री महेश कुमार द्विवेदी, सेवानिवृत कनिष्ठ लेखाकार, प्लॉट नं. 5, गोविन्द विहार, रिद्धि–सिद्धि, अग्रसेन के पीछे, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर–302018
8. रक्षित / निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)